रामकरण बनाम छीतर
354/24

9/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act दिनांक 29/1/25 को पेश हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

29/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वकील वादी उप0। वकील वादी की प्रार्थना पत्र 136 LR Act पर बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस पर मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 LR Act स्वीकार किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 LR Act स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
27/11/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या /2024

रामकरण पुत्र श्री जुवारा उर्फ जौहरीलाल जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 छीतर पुत्र सरीला जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

मान्यवर

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

1 यह कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 366 रकबा 0.29 है0, खसरा न0 367 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 368 रकबा 0.34 है0, खसरा न0 370 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 387 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है।

2 यह कि प्रार्थी के साबिक खसरा न0 87 रकबा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा न0 368 मिन रकबा 0.06 है0 व खसरा न0 369 मिन रकबा 0.03 है0, साबिक खसरा न0 83/324 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से बने हाल खसरा न0 366 रकबा 0.29 है0 खसरा न0 367 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 368 मिन रकबा 0.28 है0, खसरा न0 370 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 371 मिन रकबा 0.25 है0, बनाये गये व साबिक खसरा न0 न 83/325 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से बने

रामकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 354 / 2024
निर्णय दिनांक : 29.01.2025

रामकरण पुत्र श्री जुवारा उर्फ जौहरीलाल जाति जाट निवारी ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

छीतर पुत्र सरीला जाति जाट निवारी ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सागानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी को पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न० 366 रकबा 0.29 है0, खसरा न० 367 रकबा 0.24 है०, खसरा न० 368 रकबा 0.34 है०, खसरा न० 370 रकबा 0.44 है०, खसरा न० 387 रकबा 0.41 है० वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। प्रार्थी के साविक खसरा न० 87 रकबा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा न० 368 मिन रकबा 0.06 है० व खसरा न० 369 मिन रकबा 0.03 है०, साविक खसरा न० 83 / 324 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से बने हाल खसरा न0 366 रकबा 0.29 है० खसरा न0 367 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 368 मिन रकबा 0. 28 है०, खसरा न० 370 रकबा 0. 44 है०, खसरा न0 371 मिन रकबा 0.25 है0. बनाये गये व साविक खसरा न० न 83 / 325 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से बने हाल खसरा न० 368 / 1143 रकबा 0.05 है०, खसरा न० 369 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बनाये गये जो कि प्रार्थी के पिता जुवारा पुत्र छोटू की खातेदारी में रही है। दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थी की कृषि भूमि हाल खसरा न० 368 रकबा 0.39 है० मे से रकबा 0.05 है० कम कर अप्रार्थी सख्या एक के पिता सिरला पुत्र जगन्नाथ के नाम से बटटा नम्बर 368 / 1143 कायम कर अंकित कर दिया जबकि भूप्रबन्ध विभाग को दौराने सेटमेन्ट राईटस ऑफ रिकार्ड में फेयंर बदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हाल खसरा न0 368 / 1143 रकबा 0.05 है० भूमि जो कि प्रार्थी की भूमि हाल खसरा न० 368 रकबा 0. 34 है० का भाग है को अप्रार्थी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकार्ड मे हटाकर प्रार्थी के नाम अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। साविक नक्शा से बने हाल नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि सेटमेन्ट विभाग ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी रूप से प्रार्थी की 0.05 है० भूमि अप्रार्थी सख्या एक के पिता के नाम अंकित कर दी गई जो कि गलत है जिसको न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त गलती को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार के यहा पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो श्रीमान तहसीलदार ने प्रार्थी को उक्त दुरूस्ती करवाने बावत मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा इस कारण यह प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगा

माना न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय का हासिल है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा वारा भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे अप्रार्थी संख्या एक के नाम से दर्ज हाल खसरा न0 368/1143 रकबा 0.05 है० को अप्रार्थी संख्या एक के नाम से हजय कर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित करने के लिए अप्रार्थी संख्या दो को आदेशित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद डॉक रजिस्टर तामील उपस्थित नही। प्रतिवादी संख्या के विरूद्ध दिनांक 03.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराज़ी कृषि भूमि हाल खसरा न० 366 रकबा 0.29 है0, खसरा न० 367 रकबा 0.24 है०, खसरा न० 368 रकबा 0.34 है०, खसरा न० 370 रकबा 0.44 है०, खसरा न० 387 रकबा 0.41 है० वाके ग्राम जयसिंहपुरा वारा भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। प्रार्थी के साबिक खसरा न० 87 रकबा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा न० 368 मिन रकबा 0.06 है० व खसरा न० 369 मिन रकबा 0.03 है०, साबिक खसरा न० /324 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से बने हाल खसरा न0 366 रकबा 0.29 है० खसरा न0 367 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 368 मिन रकबा 0. 28 है०, खसरा न० 370 रकबा 0.44 है०, खसरा न0 1 मिन रकबा 0.25 है0. बनाये गये व साबिक खसरा न० न 83/325 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल खसरा न० 368/1143 रकबा 0.05 है०, खसरा न०. 369 रकबा 0.20 80 वाके ग्राम जयसिंहपुरा वारा भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बनाये गये । हाल खसरा न0 368/1143 रकबा 0.05 है० भूमि जो कि प्रार्थी की भूमि हाल खसरा न० 368 रकबा 0.34 है० का भाग है को प्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे हटाकर प्रार्थी के नाम अंकित करने कि कृपा करावे

बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पाया कि साबिक नक्शा से बने हाल नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि सेटलमेन्ट विभाग ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी की 0.05 है० भूमि अप्रार्थी संख्या एक के पिता के नाम अंकित कर दी गई जो कि गलत है दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थी की कृषि भूमि हाल खसरा न० 368 रकबा 0.39 है० मे से रकबा 0.05 है० कम कर अप्रार्थी संख्या एक के पिता सिरला पुत्र जगन्नाथ के नाम से बटटा नम्बर 368/1143 कायम कर अंकित कर दिया जबकि भूप्रबन्ध विभाग को दौराने सेटलमेन्ट राईटस ऑफ रिकार्ड में फेयर बदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। हाल खसरा न0 368/1143 रकबा 0.05 है० भूमि जो कि प्रार्थी की भूमि हाल खसरा न० 368 रकबा 0.34 है० का भाग है को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे हटाकर प्रार्थी के नाम अंकित किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हित मे आवश्यक है। समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश
ना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व
नियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम
सेहपुरा वास भाकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित अप्रार्थी सख्या 1 के नाम से दर्ज
खसरा न0 368/1143 रकबा 0.05 है० को अप्रार्थी सख्या 1 के नाम से हजव कर प्रार्थी के
से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)
,जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,जयपुर द्वितीय (सांगानेर),जयपुर
फोन फैक्स 0141-2731100 ईमेल sdo2san@gmail.com

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 722 दिनांक 6/2/25

तहसीलदार
तहसील सांगानेर।

विषयः—न्यायालय हाजा में निर्णित पत्रावली प्रार्थना पत्र संख्या 354 / 2024 उनवानी रामकरण बनाम छीतर व अन्य में दिनांक 29.01.2025 को जारी निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय हाजा में निर्णित पत्रावली प्रार्थना पत्र संख्या 354 / 2024 उनवानी रामकरण बनाम छीतर व अन्य में दिनांक 29.01.2025 को जारी निर्णय की पालना हेतु पत्र के संलग्न जारी निर्णय की छाया प्रति भिजवाई जा रही है। अगर अन्य किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो निर्णय की पालना कर पालना रेपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर—द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर